



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 351]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 15, 2013/माघ 26, 1934

No. 351]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 15, 2013/MAGHA 26, 1934

पोत परिवहन मंत्रालय

MINISTRY OF SHIPPING

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2013

New Delhi, the 15th February, 2013

का.आ. 378(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 66 की उप-धारा (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की दिनांक 6 नवम्बर, 2012 की अधिसूचना सं. 46/2012/फॉइल सं. 178/60/2012 (आई टी ए-1) की शर्तों के अनुसार पब्लिक इश्यू रूट और/अथवा प्राइवेट प्लेसमेंट रूट के माध्यम से कुल 2,000 करोड़ रु. की राशि ("बॉन्ड") तक, यथा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (15) (iv) (ज) के तहत कर लाभ प्राप्त करने वाले सुरक्षित विमोच्य गैर-परिवर्तनीय बॉन्डों के रूप में जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास द्वारा कर-मुक्त बॉन्ड जारी किए जाने को अनुमोदित करती है।

S.O. 378(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (3) of Section 66 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the issue of tax free bonds by the Jawahar Lal Nehru Port Trust in the nature of secured redeemable non-convertible bonds having tax benefits under Section 10 (15)(iv)(h) of the Income Tax Act, 1961, as amended, upto an aggregate amount of Rs. 2,000 crores (the "Bonds") through public issue route and/or private placement route in accordance with the terms of the Central Board of Direct Taxes notification No. 46/2012/F.No. 178/60/2012(ITA.1) dated November 6, 2012.

[सं. पीडी-11015/25/2012-पीडी.VI]

[No. PD-11015/25/2012-PD.VI]

एन. मुरुगानन्दम, संयुक्त सचिव

N. MURUGANANDAM, Jt. Secy.